(12)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–112 / 2018–19

विजय यादव वगै0 बनाम विलास यादव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18/11/2021	अंचल अधिकारी, हंटरगंज का पत्रांक–759, दिनांक–27.10.2018 के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज का विविध वाद संख्या–06 / 18–19 विजय यादव, लालजी यादव बनाम विलास यादव, अनहक्ष महतो से संबंधित मूल अभिलेख प्रथम पक्ष के जमाबंदी को कायम रखते हुए प्लॉट संख्या–286, रकवा–4.43 एकड़ अनहछ महतो वगै0 के नाम कायम जमाबंदी को अगले आदेश तक स्थगित कर अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को उपलब्ध कराया गया है। तद्नुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विद्व अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह कि वर्तमान वाद प्रथम पक्ष के सदस्य के लिखित आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा संधारित अभिलेख को विद्वान न्यायालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु मूल अभिलेख के समर्पित किए जाने के पश्चात् आरम्भ की गई है। यह कि वाद के आवेदक द्वारा हंटरगंज अंचल अधिकारी को एक आवेदन इस आशय की दी गई थी कि थाना हंटरगंज मौजा–बेला, थाना नं0–49, खाता संख्या–28, प्लॉट संख्या–286, रकवा–4.43 एकड़ भूमि अन्य भूमि के साथ प्रथम पक्ष के पूर्वज सोमारु गोप के नाम विगत सर्वे खतियान में दर्ज है एवं लगान रसीद भी निर्गत होते चला आ रहा है। यह कि आवेदक अपने आवेदन में आगे वर्णित किए है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य विलेश यादव पिता–केशर यादव के द्वारा नाजायज तरीके से मौजा–बेला, थाना–संख्या–49 खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–286, रकवा–4.43 एकड़ भूमि विविध वाद संख्या–37 / 10–11 के द्वारा अन्हछ महतो के नाम से जमाबंदी कायम कराते हुए लगान रसीद निर्गत कराई जा रही है, इसलिए विविध वाद संख्या–37 / 10–11 के आदेश के आलोक में कायम जमाबंदी को रद्द करने का आग्रह किए हैं। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से उपरोक्त भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मॉग की गई,	

1 Misc

तत्पश्चात् राजस्व/अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। यह कि राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह वर्णित किया गया है उक्त भूमि खाता संख्या 28 से संबंधित है और उसका जमाबंदी प्रथम पक्ष के पूर्वज भुलन महतो वगैरह के नाम से कायम है एवं वर्ष 2014–15 तक लगातार राजस्व रसीद निर्गत किया गया है, जबकि प्लॉट संख्या–286 खाता संख्या–38 का नाम है ही नहीं, परन्तु खाता संख्या 38 प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ भूमि पंजी II के पेज संख्या 5/2 पर अन्हछ महतो पिता–बिगन महतो के नाम चल रही है जो विविध केश संख्या 37/10 11 के आदेशानुसार जमाबंदी कायम है, सर्वे खतियान के अनुसार उक्त प्लॉट 286 खाता संख्या–38 का नही है, परन्तु खाता संख्या 28 से संबंध है, जो बकास्त सोमारू महतो के नाम से दर्ज है। यह कि प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्लॉट भुलन महतो वगैरह के दखल कब्जा में होने की बात पुछ ताक्ष में पता चला है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा बार–बार समय दिए जाने के बावजूद द्वितीय पक्ष के द्वारा राजस्व रसीद के सिवाय अन्य कोई कागजात समर्पित नही किया गया है जो यह सिद्ध करता है कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को मात्र विवादित बनाए रखना चाहते है। यह कि प्रथम पक्ष श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहते हैं कि द्वितीय पक्ष की तथाकथित जमाबंदी 2010–11 में कायम की गई है, जबकि जमाबंदी के नामित व्यक्ति अन्हछ महतो की मृत्यु करीब सौ वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। फिर मृत व्यक्ति के नाम क्या जमाबंदी कैसे संभव हो पाया है। यह कि अंचल कार्यालय हंटरगंज के विविध वाद संख्या–37/10–11 में कार्यालय के द्वारा आम इस्तेहार निर्गत किया गया था, जिसमें वैधनाथ सिंह, बिनोद सिंह, बंदु यादव एवं रामासीस सिंह का हस्ताक्षर अंकित है इस संबंध में प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में कार्यालय में प्रतिनियुक्त सरफराज अंसारी, चौकीदार के द्वारा जॉच कराया गया, श्री अंसारी के द्वारा ग्रामीणो से पुछ ताछ किया गया, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वैधनाथ सिंह, बिनोद सिंह, बन्दु यादव एवं रामासीस सिंह चारो व्यक्ति इस गॉव के निवासी नहीं है। यह कि उपरोक्त जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन के पश्चात् अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रथम पक्ष की जमाबंदी को कायम रखते हुए प्लॉट संख्या–286 रकबा–4.43 एकड़ अन्हछ महतो वगैरह के नाम कायम जमाबंदी को आगले आदेश तक स्थागित करते हुए अभिलेख की अग्रेतर कार्यावाही हेतु मूल अभिलेख श्रीमान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को समर्पित कि गई हैं। यह कि उपरोक्त वर्णन विश्लेशन यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य द्वारा मौजा–बेला, थाना–49, खाता संख्या–38, प्लॉट संख्या–286, रकबा–4.43 एकड भूमि की गलत तरीके से फर्जी खतियान दिखाकर कराई गई जमाबंदी जो विविध वाद संख्या–37/2010–11 के आधार पर आरंम्भ की गई हैं को तत्काल खारीज/रद्द करने की नितांत आवश्यकता बनी हुई हैं। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा समर्पित पर स्वीकृति आदेश दिया जाना न्यायसंगत नियमानुकुल वो न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः विद्वान न्यायालय से अग्रह है कि

अभिलेख पर तत्काल स्वीकृति आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाय ताकि फर्जी तरीके से कायम कराई गई जमाबंदी को यथाशीघ्र खारीज/निरस्त/स्थगित किया जा सके।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता पुनः अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि- "वर्तमान वाद हंटरगंज अंचल के द्वारा विपक्षी के पूर्वज अन्हछ महतो के नाम कायम जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए तत्काल स्थगित कर श्रीमान के पास अग्रेतर कार्यवाही हेतु समर्पित की गई हैं। यह कि वाद का विषयवस्तु यह है कि अंचल व थाना हंटरगंज, मौजा-बेला थाना नं0-49 खाता संख्या-28 की जमाबंदी विभिन्न अन्य प्लॉट के साथ प्लॉट संख्या-286 रकवा-4.43 एकड़ कुल रकवा-6.83 एकड़ आवेदक पूर्वज सोमारू महतो के नाम कायम हैं और लगातार लगान वसूल करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत की जा रही है और आवेदक अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ उक्त भूमि पर काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि इसी प्लॉट संख्या-286 को 38 खाता की भूमि बताकर विपक्षी अपने पूर्वज अन्हछ महतो के नाम एक दूसरी जमाबंदी कायम करा लिए हैं जो अंचल कार्यालय हंटरगंज के विविध वाद संख्या-37/10-11 से स्वीकृत होकर जमाबंदी कायम की गई है। विपक्षीगण दस्तावेज के रूप से उक्त भूमि का हुकुमनामा, फर्द अमीन रिर्पोट, खालसा रसीद, जमीन्दारी रसीद वगैरह फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर उक्त जमाबंदी कायम कराए हैं। यह कि विपक्षीगण उक्त भूमि को अपने पूर्वज अन्हछ महतो के नाम सर्वे खतियान में दर्ज होने की बात भी बताते है, और इस संबंध में खाता संख्या-38 का खतियान का छायाप्रति छेड़ छाड़ युक्त दाखिल भी किए है। यह कि आवेदक को जब विपक्षी के पूर्वज के नाम कायम जमाबंदी की बात की जानकारी हुई तो उसे रद्द करने के आशय का आवेदन अंचल अधिकारी, हंटरगंज को दिए जिसपर उचित जॉच प्रकिया पूर्ण करते हुए अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा विविध वाद संख्या-06/18-19 आरंभ करते हुए वाद संख्या-37/2010-11 के आधार पर विपक्षी के पूर्वज अन्हछ महतो के नाम कायम जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए श्रीमान के समक्ष अग्रेतर कार्यावाही हेतु अभिलेख समर्पित की गई है। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के अनुशंसा के साथ-साथ संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने का आदेश निम्नलिखित आधार पर भी पारित किए जाने योग्य है। यह कि यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि जब यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लॉट संख्या 286 खाता संख्या 38 का नहीं हैं तो फिर खाता सख्या 38 के आधार पर उक्त प्लॉट 286 का जमाबंदी कायम कैसे की गई हैं। यह कि यहाँ विचारणीय प्रश्न हैं कि जब विपक्षी के पूर्वज अन्हछ महतो के नाम खाता संख्या 38 सर्वे खतियान में दर्ज हैं तो फिर खाता सख्या 38 हुकुमनामा अन्हछ महतो के नाम से ही कैसे हासिल की गई। यह कि विचारणीय प्रश्न यह भी है कि क्या किसी पूर्वज के नाम खतियान में दर्ज होने के बावजुद उसी पूर्वज को वही जमीन पुनः हुकुमनामा से प्राप्त हो सकता है क्या। यह कि उपरोक्त आधार वो विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका हैं कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बेला थाना नं0 49 का प्लॉट संख्या-286, खाता संख्या-38 का नहीं हैं, अतः अंचल अधिकारी,

हंटरगंज के विविध वाद संख्या 37/10-11 के आदेशानुसार खाता संख्या-38 का कायम जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु सम्बंधित अभिलेख स्वीकृत करने की नितांत आवश्यकता नहीं हुई है। अतः विद्वान न्यायालय से आग्रह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा सम्बंधित अभिलेख को तत्काल स्वीकृत करते हुए विविध वाद संख्या 37/10-11 के आधार पर कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित करने की कृपा प्रदान की जाय ताकि न्याय हो सके।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि "यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र के आधार पर विविध वाद प्रारंभ किया गया जिसमें बगैर विपक्षीगण के उपस्थिति के विपक्षीगण की गैरहाजरी में गलत रिपोर्ट को आधार मान कर एक पक्षीय अनुशंसा कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए मौजूदा न्यायालय में भेजा गया है। यह कि मौजूदा न्यायालय से विपक्षीगण नोटिस प्राप्ति के बाद न्यायालय में उपस्थित हुए अपना लिखित विरोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कि मौजा-बेला, थाना-हंटरगंज थाना नं0 49 हाल जिला चतरा के जमीन अंदर खाता संख्या-38 के अन्य प्लॉट के अलावे प्लॉट संख्या-286 रकबा-4.43 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में अनछ महतो वगैरह के नाम बकास्त दर्ज है। यह कि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद अनछ महतो एवं उनके भाईयों के नाम माल निर्धारण होकर अंचल कार्यालय में जमाबंदी दर्ज होकर अनछ महतो के नाम सरकारी मालगुजारी रसीद कटने लगी। यह कि अनछ महतो के तीन भाईयों का वंशावली निम्न प्रकार है:-

वंशावली।

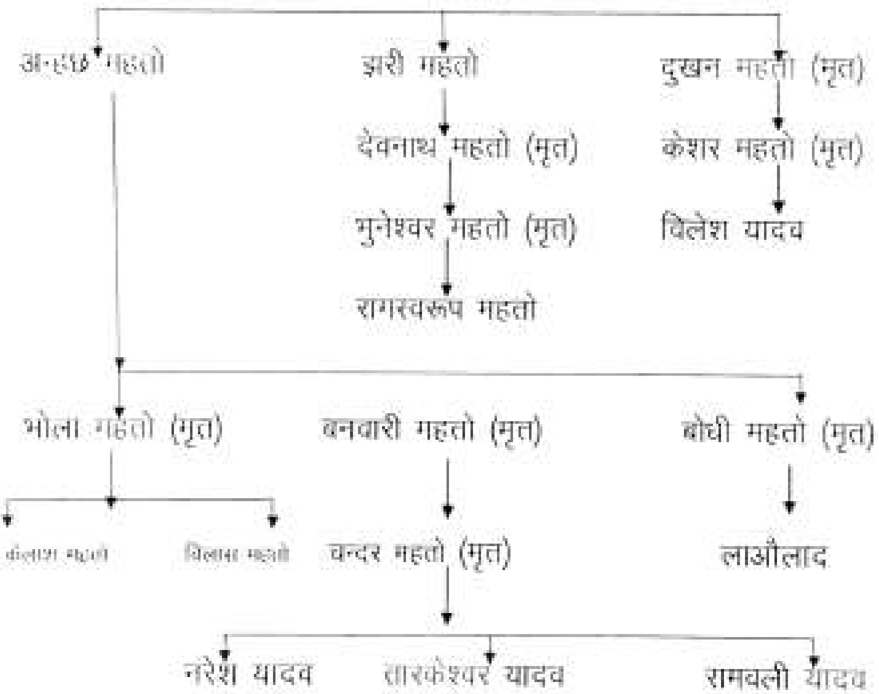

यह कि अन्हछ महतो एवं उनके भाईयों के मरने पर तीनों भाई के वंशज खाता संख्या–38 की कुल जमीन पर दखलकार हुए वो रहे और मालगुजारी देते रहे। बीच मे कई वर्ष तक मालगुजारी बकाया पड गया तो अन्हछ महतो वगैरह के नाम से चल रही जमाबंदी को स्थगित कर दिया गया। यह कि बाद में उनके वंशजो द्वारा अंचल कार्यालय में जमाबंदी नियमित करने का आवेदन दिया गया जिस पर अंचल कार्यालय मे विविध वाद संख्या 37/10–11 दर्ज कर नियमतः जॉच किया गया और हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के जॉचोपरांत अन्हछ महतो के नाम चली रही जमाबंदी को नियमित कर 68–69 से 10–11 तक का बकाया लेकर अन्हछ महतो के नाम अंचल अधिकारी हंटरगंज द्वारा रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया। यह कि तब से लगातार प्रतिवर्ष अन्हछ महतो वगैरह के वंशज मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद अन्हछ महतो के नाम से प्राप्त करते आ रहे है वो है। प्रश्नगत भूमि शांति पूर्वक विपक्षीगण के खास दखल कब्जो मे था और है। यह कि अन्हछ महतो एवं उनके भाईयों के मरने पर उनकी वारिशान खाता संख्या–38 की कुल जमीन पर खास काबिज वो दखलकार हुए वो रहें। यह कि बाद में तीनों भाईयों के वंशज अपने सभी जमीन को बमोजिब हिस्सा को बॉट कर अलग–अलग जोत आवाद करते आ रहे है वो है। यह कि अन्य भूमि के साथ मौजा–बेला के अंदर खाता संख्या–38 के प्लॉट संख्या–286 रकवा–4.43 एकड जमीन को भी तीन भाग में बांटकर एक–एक तिहाई अन्हछ महतो एवं उनके भाईयों के वंशज के खास दखल में चला आ रहा है वो है। यह कि मौजा–बेला थाना नं0–49 थाना–हंटरगंज खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–286 रकवा–4.43 एकड मधे एक तिहाई 1.47 2/3 एकड जमीन पर अन्हछ महतो के वंशज कैलाश महतो, बिलास महतो, नरेश यादव, तारकेश्वर यादव, रामबली यादव के हक हिस्से वो दखल कब्जा में चला आ रहा है वो है। अन्हछ महतो के भाई झरी महतो के वंशज एक मात्र राम स्वरूप यादव के हिस्से में 1.47 2/3 एकड जमीन है जो रामस्वरूप यादव के हक अधिकार एवं दखल कब्जे मे चला आ रहा है वो है। अन्हछ महतो के तीसरे भाई दुखन महतो का एक मात्र वारिस बिलेस यादव के हक हिस्से में 1.47 2/3 एकड जमीन है जो बिलेस यादव के हक हिस्से वो दखल कब्जे मे है। यह कि इस तरह प्लॉट संख्या–286 की कुल भूमि तीनों हिस्से में बंटा है। सभी हिस्सेदार बमाजिब हक हिस्सा के हिस्सा रसीद मालगुजारी देकर सरकारी रसीद विपक्षीगण प्राप्त करते आ रहे है। यह कि हल्का कर्मचारी नारायण कुमार झा ने जॉच प्रतिवेदन मे स्पष्ट है कि मौजा–बेला थाना–हंटरगंज के अंदर जमीन अंदर खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–286 रकवा–4.43 एकड जमीन का जमाबंदी अन्हछ महतो पिता बिगन महतो के नाम जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–05/III पर दर्ज है। उक्त रिपोर्ट दिनांक–27.06.2017 को किया गया है जिसमें 15–16 तक का सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत है। यह कि खाता संख्या 38 के प्लॉट संख्या 286 का रकवा 4.43 एकड जमीन का सरकारी मालगुजारी सन् 2019 तक पेमेण्ट है और अन्हछ महतो के नाम का रसीद विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत है। यह कि विपक्षी बिलेस यादव जो विपक्षियों की ओर से पैरवी करता है अचानक 2018 में एक मुकदमा में पैसा दिया

5 Misc

गया और न्यायालय में हाजिर होकर जेल चला गया । इस बीच विपक्षीगण की ओर से अंचल कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और अंचल कार्यालय हंटरगंज के कर्मियों द्वारा एक पक्षीय रिर्पोट कर गलत अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु मौजूदा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह कि मौजा–बेला, थाना–हंटरगंज के खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–286 रकवा–4.43 एकड़ जमीन अनहछ महतो की बकास्त जमीन थी जिसका जमाबंदी नियमित कायम किया गया है, उसे रद्द करना सरासर गलत है। खाता मजकुर की कुल भूमि तीन हिस्सा में अलग–अलग बंटा है। यह कि आवेदक का कुल दावा गलत है। आवेदक का दावा गलत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक का दावा निरस्त करने का लायक है। अतः विपक्षीगण की ओर से उजूरदारी देकर अर्ज है कि आवेदक के आवेदन को निरस्त कर अनहछ महतो वगैरह के नाम चल रहे जमाबंदी को नियमित किया जाय।

अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा अपने आदेश पत्रक में यह उल्लेखित किया है कि– "आवेदक लालजी यादव वो विजय यादव पिता ननकु यादव एवं अन्य ग्राम बेला थाना हंटरगंज जिला चतरा के द्वारा खतियान की छायाप्रति लगान रसीद की छायाप्रति एवं साक्ष्य के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि साकिन मौजा बेला थाना नं0 49 थाना हंटरगंज अंतर्गत खाता संख्या 28 प्लॉट संख्या 286 रकवा 4.43 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त लगान पाने वाला तथा भू–स्वामी का नाम सोमारू महतो दर्ज है। जिसका लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। पंजी–II के पृष्ट संख्या–275/2 पर खाता संख्या–28 प्लॉट संख्या–286 रकवा–4.43 एकड़ पंजी–II का डाटा इन्ट्री में भी अंकित है। उल्लेखनीय है कि आवेदक विजय यादव पिता–ननकु यादव के द्वारा प्रस्तुत जवाब से बताया गया है कि ग्राम बेला थाना न0 49 अंतर्गत खाता संख्या 28 में प्लॉट संख्या–6, 31, 44, 60, 78, 107, 124, 125, 209, 306 एवं 286 का पूर्ण रकवा–6.83 एकड़ भूमि उनके पूर्वज सोमारू महतो के नाम से दर्ज है। जिसका लगान रसीद भी निर्गत होते आ रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के दखल कब्जा में है साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि विलास यादव द्वारा गलत ढंग से खतियान में खाता संख्या 38 के साथ प्लॉट संख्या 286 जोड़कर अंचल कार्यालय को भूलावा देकर विविध वाद संख्या–37/10–11 से जमाबंदी कायम करा लिया गया। विविध वाद संख्या–37/10–11 में कार्यालय के द्वारा आम इश्तिहार निर्गत किया गया था। जिसमें 1. वैद्यनाथ सिंह 2. विनोद सिंह 3. चंदु यादव एवं 4. समासिस सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। उक्त हस्ताक्षर के संबंध में विजय यादव के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि आम इश्तिहार में व्यक्ति ग्राम बेला के निवासी नही है। उक्त आलोक में कार्यालय में प्रतिनियुक्त ग्रामीणें से पुछ–ताछ किया गया ग्रामिणों के द्वारा बताया गया कि वैद्यानाथ सिंह विनोद सिंह, चंदु यादव तथा समाशीष सिंह ये चारो व्यक्ति इस गॉव के निवासी नहीं है जिन ग्रामिणों से पुछ–ताछ की गई उनका हस्ताक्षर आवेदन पत्र के पार पृष्ट पर अंकित है। श्री विलास यादव पिता केशर यादव वो अनहछ महतो पिता बिगन महतो ग्राम–बेला

थाना हंटरगंज जिला चतरा (प्रतिपक्षी) के द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में मात्र लगान रसीद वर्ष 2015–16 प्रस्तुत किया गया जो अन्हछ महतो पिता बिगन महतो के नाम ग्राम बेला थाना नं0 49 खाता संख्या 38 प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ अंकित है। श्री बिलास यादव प्रतिपक्षी के द्वारा खतियान की प्रति एवं अन्य कागजात प्रस्तुत करने हेतु 2 माह का समय की मांग की गई थी, परन्तु उक्त निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ की भूमि खाता संख्या 28 के अन्तर्गत है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय विविध वाद संख्या 37/10–11 से खाता संख्या 38 प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ भूमि का जमाबंदी अन्हछ महतो पिता बिगन महतो प्रतिपक्षी के नाम से कायम की गया है जो संदेहात्मक प्रतीत होता है। चूंकि प्लॉट संख्या–286, खाता संख्या–38 अन्तर्गत नहीं है। अतः प्रथम पक्ष की जमाबंदी को कायम रखते हुए प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 ए0 अन्हछ महतो वगै0 के नाम कायम जमाबंदी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।"

अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित है कि–"विजय यादव वगै0 ग्राम बेला के आवेदन पत्र का हल्का में उपलब्ध राजस्व कागजात से जॉच किया प्रतिवेदन निम्न प्रकार है। सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम–बेला थाना–49 खाता संख्या–28 प्लॉट संख्या–06, 31, 44, 60, 78, 107, 124, 125, 206, 209 एवं 286 रकबा–6.83 भूमि बकास्त सोमारू महतो के नाम से दर्ज है। पंजी–II के अनुसार पंजी–II के पेज संख्या 275/2 पर खाता संख्या–28, 29, 54 कुल रकबा–7.15 ए0 भूमि की रसीद भूलन महतो वगै0 पिता–सोमारू महतो के नाम से वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। आवेदक ने खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–286 रकबा–4.43 एकड़ भूमि पंजी–II के पेज संख्या–5/2 पर अन्हछ महतो पिता–बिगन महतो के नाम चल रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते है, जो विविध केश संख्या–37/10–11 के आदेशानुसार जमाबंदी कायम है सर्वे खतियान के अनुसार उक्त प्लॉट खाता संख्या 38 की नहीं परंतु खाता संख्या 28 में पड़ता है जो बकास्त सोमारू महतो के नाम से दर्ज है। मैंने प्लॉट संख्या 286 रकबा–4.43 एकड़ भूमि का स्थल जॉच किया पुछ–ताछ से पता चला कि उक्त भूमि भूलन महतो वगै0 दखल–कब्जा है विवादित रहने के कारण वर्तमान में परती पाया गया।"

उपरोक्त संबंधित पक्षों द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित मुख्य बिन्दु विचारणीय हैः–

1. अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि–" सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम–बेला थाना–49 **खाता संख्या–28** प्लॉट संख्या–06, 31, 44, 60, 78, 107,

124, 125, 206, 209 एवं 286 रकबा 6.83 भूमि बकास्त सोमारू महतो के नाम से दर्ज है। पंजी II के अनुसार पंजी II के पेज संख्या 275/2 पर खाता संख्या 28, 29, 54 कुल रकबा 7.15 ए0 भूमि की रसीद मूलन महतो वगै0 पिता–सोमारू महतो के नाम से वर्ष 2014–15 तक निर्गत है।"

2. अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि " प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ की भूमि खाता संख्या 28 के अंतर्गत है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय विविध वाद संख्या 37/10–11 से खाता संख्या 38 प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 एकड़ भूमि का जमाबंदी अन्हछ महतो पिता बिगन महतो प्रतिपक्षी के नाम से कायम हो गया है जो संदेहात्मक प्रतीत होता है। चूंकि प्लॉट संख्या 286, खाता संख्या 38 अंतर्गत नहीं है। अतः प्रथम पक्ष की जमाबंदी को कायम रखते हुए प्लॉट संख्या 286 रकबा 4.43 ए0 अन्हछ महतो वगै0 के नाम कायम जमाबंदी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।"

3. अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा उनके न्यायालय का विविध वाद संख्या–37/10–11 के माध्यम से खाता संख्या–38, प्लॉट संख्या–286, रकबा–4.43 एकड़ भूमि का जमाबंदी अन्हछ महतो, पिता–बिगन महतो के नाम से कायम हो गया है, को संदेहात्मक बताया गया है, परंतु संबंधित वाद में संदेहात्मक जमाबंदी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं की गई हैं और न ही स्पष्ट अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अंचल अधिकारी, हंटरगंज को निदेश दिया जाता है कि उनके न्यायालय का विविध वाद संख्या–37/10–11 में पारित आदेश के माध्यम से खाता संख्या–38, प्लॉट संख्या–286, रकबा–4.43 एकड भूमि का अन्हछ महतो, पिता–बिगन महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने से संबंधित, राजस्व कागजातों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निदेश/संकल्प/अधिसूचना का अवलोकन करते हुए विधिसम्मत/नियमसंगत पुनः अभिलेख संधारण करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ आदेश पारित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः अंचल अधिकारी, हंटरगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:26:23 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe